'हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद स्वामी अवधेशाचार्य और उनके परिवारजनों को मुख्य द्वार से प्रवेश पर पुलिस ने रोका'

गलताजी ठिकाने के स्वामी अवधेशाचार्य ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा 2 अगस्त को जारी आदेश की पालना करवाने की मांग की

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। गलता पीठ ठिकाना की संपत्ति व महंत की नियुक्ति पर चल रहे विवाद में एक नया मोड आया है। स्वामी अवधेशाचार्य ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित को शिकायत भेजी है कि, राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी पुलिस अधिकारियों ने 2 अगस्त की रात को उन्हें घर के मुख्य द्वार पर ही 3 घंटे रोक लिया। हाईकोर्ट के आदेश की प्रतिलिपि दिखाने के बावजूद भी गलताजी थानाधिकारी और ए.सी.पी. रामगंज ने उनकी बात नहीं सुनी। जब कई बार समझाने पर भी पुलिस अधिकारी नहीं माने तो थक-हारकर स्वामी अवधेशाचार्य व उनके पुत्र राघवेन्द्र को धर्मशाला जाना पड़ा।

स्वामी अवधेशाचार्य ने बताया कि, राजस्थान हाईकोर्ट ने 2 अगस्त आदेश देते हुए कहा था कि "स्वामी अवधेशाचार्य, मामले की अपील के फैसले तक महंत के पद से हटाए जा रहे हैं, वे महंत के पद पर दावेदारी नहीं करें, परंतु वे मंदिर परिसर में बने निवास पर रह सकते हैं और पूजा-अर्चना भी जारी रख सकते हैं।"

स्वामी अवधेशाचार्य की ओर से जयपुर कलेक्टर को लिखे गए शिकायती पत्र में कहा गया है कि, उनके घर के मुख्य द्वार, जो मंदिर परिसर की तरफ खुलते हैं, उसे सील करके बंद कर दिया गया है। इस कारण उन्हें अपने आवास तक आने-जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है। उन्हें अपने घर के पीछे बने गायों के बाड़े के रास्ते से घर में आना पड़ रहा है।

राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद पुलिस ने शुक्रवार देर रात गलताजी मंदिर परिसर स्थित आवास पर जाने से स्वामी अवधेशाचार्य और उनके पुत्र स्वामी राघवेंद्र को रोक लिया।

- **शिकायत में अवधेशाचार्य की ओर से कहा गया है कि, "उनके घर के मुख्य द्वार, जो मंदिर परिसर की तरफ खुलते हैं, उसे सील करके बंद कर दिया गया है। इस कारण उन्हें अपने आवास तक आने-जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है। उन्हें अपने घर के पीछे बने गायों के बाड़े के रास्ते से घर में आना पड़ रहा है।"**
- **शिकायत में कहा गया है कि, "राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से 2 अगस्त को स्वामी अवधेशाचार्य को मंदिर परिसर में बने अपने निवास पर रहने और आने-जाने के लिए छूट दी है।" उन्होंने इस आदेश की प्रतिलिपि भी पुलिस अफसरों को दिखाई, इसके बावजूद उन्होंने शुक्रवार रात को करीब 3 घंटे तक उन्हें मुख्य द्वार पर रोककर रखा, जो कि हाईकोर्ट के आदेश की सरासर अवहेलना है।**

अवधेशाचार्य ने अपनी शिकायत में कहा कि, "2 अगस्त को रात करीब पौने 9 बजे वह अपने पुत्र के साथ निवास की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि मंदिर परिसर की तरफ खुलने वाले उनके घर के मुख्य द्वार को सील कर दिया गया है। इसके अलावा उन्हें और उनके पुत्र को घर के दरवाजे पर तैनात पुलिस अफसरों ने 3 घंटे तक रोककर रखा। मंदिर परिसर में मौजूद ए.सी.पी. रामगंज व गलता थानाधिकारी का कहना था कि, "प्रशासन द्वारा उन्हें आदेश दिए गए हैं कि, इस द्वार से किसी की एंट्री नहीं होने दी जाए। दरवाजे पर सील प्रशासन के आदेशों पर ही लगाई गई है, जिसे खोलने के लिए उन्हें कोई आदेश नहीं मिला है।"

स्वामी अवधेशाचार्य के मुख्य निवास पर प्रशासन द्वारा लगाई गई पेपर सील की फोटो उनके पुत्र स्वामी राघवेंद्र द्वारा साझा की गई।

स्वामी अवधेशाचार्य ने शिकायत में लिखा है कि, पुलिस के दोनों वरिष्ठ अफसरों ने उन्हें घर के द्वार पर रोकते हुए कहा कि आपके पास कोई अधिकार नहीं है सील खोलने का। एस.एच.ओ. ने कहा कि मेरी अतिरिक्त कलेक्टर (एडीएम) से बात हो गयी है, वे यहां पहुंच रहे हैं। रात को करीब 2 घंटे तक स्वामी अवधेशाचार्य व उनके पुत्र राघवेन्द्र, जिला प्रशासन के मौके पर पहुंचने का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। पुलिस द्वारा टोकाटाकी व घर में प्रवेश से रोकने के प्रयास का वीडियो भी स्वामी अवधेशाचार्य की ओर से रिकॉर्ड किया गया है। स्वामी अवधेशाचार्य ने पुलिस अधिकारियों को कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए रोकने से मना भी किया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना। थानाधिकारी लिखमाराम ने यहां तक कह दिया कि, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम आपको सील खोलकर अंदर जाने नहीं दे सकते।"

स्वामी अवधेशाचार्य ने जिला कलेक्टर को इस पूरे प्रकरण की शिकायत करते हुए लिखा कि, जिला प्रशासन की ओर से ऐसा स्पष्ट आदेश पारित किया जाए, जिससे कि मंदिर परिसर में तैनात सरकारी अधिकारी व पुलिस, राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशानुसार उनके घर के मुख्य द्वार पर लगाई गई पेपर सील को हटाए।

आर्यिका निरंजनमती माताजी का यमसल्लेखना पूर्वक समाधि मरण

बिलवा स्थित शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में गणिनी आर्यिका नंगमती माताजी के सानिध्य में हुई समाधि।

जयपुर। टोंक रोड के बिलवा स्थित शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुधर्म नंग अहिंसा ट्रस्ट के परिसर में गणिनी आर्यिका रत्न सुपार्श्वमती माताजी एवं गणिनी आर्यिका रत्न गौरवमती शिष्या आर्यिका निरंजनमती माताजी का यम सल्लेखना पूर्वक सम्यक समाधिमरण गणिनी आर्यिका नंगमती माताजी के सानिध्य में हो गया। जिसके पश्चात जैन परंपराओं के अनुसार ब्रह्मचारी जिनेश भैया के निर्देशन में निरंजनमती माताजी की अंतिम डोल यात्रा निकाली गई और मंत्रोच्चारण के साथ माताजी के शरीर को पंचतत्व में विलीन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए और पूज्य माताजी को नम आंखों के साथ विदाई दी।

अखिल भारतीय दिगंबर जैन युवा एकता संघ अध्यक्ष अभिषेक जैन बिट्टू ने जानकारी देते हुए बताया कि आर्यिका निरंजनमती माताजी को सर्व प्रथम छुल्लिका दीक्षा 15 फरवरी 2015 को गणिनी आर्यिका रत्न गौरवमती माताजी द्वारा मानसरोवर स्थित वरुण पथ जैन मंदिर पर प्रदान की गई थी, उस समय माताजी को श्रेयांशमती नाम प्रदान किया गया था, क्योंकि उस दिन तीर्थंकर श्रेयांसनाथ भगवान का जन्म एवं तप कल्याणक पर्व था। इसके पश्चात वर्ष 2021 में गणिनी आर्यिका गौरवमती माताजी का देवलोक हो जाने के बाद छुल्लिका श्रेयांशमती माताजी गणिनी आर्यिका नंगमती माताजी के संघ में सम्मिलित हो गई थी, नंगमती माताजी द्वारा 31 जुलाई 2024 को ही आर्यिका दीक्षा प्रदान की गई थी, तब माताजी को निरंजनमती नाम प्रदान किया गया।

राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे ने शनिवार को दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी के आवास पहुंचकर उनसे मुलाकात की। उन्होंने उनसे विभिन्न विषयों पर संवाद किया। राज्यपाल बागडे की जोशी से यह शिष्टाचार भेंट थी।

अधिकारियों के विरुद्ध लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार आमजन को संवेदनशील, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं अभियोजन स्वीकृति के विचाराधीन विभिन्न प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण किया।

मुख्यमंत्री ने 7 प्रकरणों में सेवारत अधिकारियों को सीसीए नियम 16 एवं 17 के अन्तर्गत दण्डित करने तथा 4 सेवानिवृत्त अधिकारियों पर आरोप के समानुपातिक पेंशन रोकने का निर्णय किया। साथ ही, सेवानिवृत्त अधिकारी के विरूद्ध संचालित एक अन्य प्रकरण में प्रमाणित आरोप का अनुमोदन तथा 2 प्रकरणों में आरोप अप्रमाणित पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को दोषमुक्त किया।

शर्मा ने राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भ्रष्टाचार के प्रकरणों में न्यायालय से दोषसिद्धि के 2 प्रकरणों में दोषी चिकित्सकों को राजकीय सेवा से पदच्युत किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अन्तर्गत प्रस्तुत 3 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति भी प्रदान की।

मुख्यमंत्री ने सीसीए नियम 34 में प्रस्तुत 3 पुनरावलोकन याचिकाएं संतोषजनक तथ्यों के अभाव में खारिज तथा अनिवार्य सेवानिवृति के 1 प्रकरण में प्रस्तुत अपील अंतर्गत नियम 53(4) को अस्वीकार किया। साथ ही, धारा 17-ए के 2 प्रकरणों में प्रथम दृष्टया कार्यवाही योग्य नहीं होने से परिवाद पंजीबद्ध कर विस्तृत जांच एवं अनुसंधान करने की अनुमति प्रदान नहीं की।

पत्थर से युवक का सिर फोड़ा

जयपुर। शिवदासपुरा थाना इलाके में बाइक सवार दो बदमाशों ने पत्थर से हमलाकर पैदल जा रहे मजदूर का सिर फोड़ दिया और फिर मारपीट कर उससे मोबाइल व नकदी छीनकर ले गए। पुलिस के अनुसार मूलतरू यूपी हाल रामचंद्रपुरा निवासी नाजीमुल ने मामला दर्ज करवाया कि वह पिरामिड कम्पनी में काम करता है। एक अगस्त की दोपहर वह कम्पनी से खाना खाने पैदल ही अपने रुम पर जा रहा था। दुर्लभ कॉलेज के पास पीछे से बाइक सवार दो बदमाश आए और बदमाशों से पत्थर से उसका सिर फोड़ दिया। इसके बाद वह सडक पर गिर गया। बदमाशों ने उसके साथ लात-घूसे से मारपीट की और उससे मोबाइल व जेब में रखे 5200 रुपए निकाल कर ले गए। राहगिरों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उससे छुट्टी दे दी गई। इसके बाद पीडित ने थाने पहुंच कर मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस घटना स्थल और उसके आस-पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे राज्यपालों के सम्मेलन में शामिल हुए

जयपुर, (का.सं.)। राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे ने शुक्रवार और शनिवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की अध्यक्षता में आयोजित राज्यपालों के सम्मेलन में भाग लिया।

बागडे राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस सम्मेलन में एक भारत श्रेष्ठ भारत, 'एक वृक्ष मां के नाम' और प्राकृतिक खेती अभियान, राज्यपालों का जनता से सतत संपर्क, राज्यपालों की भूमिका और विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में राज्यपालों की भूमिका जैसे विषयों के विभिन्न सत्रों में शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि इस सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आदि ने संबोधित किया।

पहले 10 ब्लॉक कांग्रेस को भंग किया विरोध पर दो को फिर बहाल किया

जयपुर, (का.प्र.)। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ने फीडबैक के आधार पर संगठन को पुनर्गठन कर मजबूत करने के लिए अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर 100 ब्लॉक कांग्रेस एवं मंडल कांग्रेस कमेटियों को भंग किया, लेकिन इस काम में गफलत हुई तो दौसा के दो ब्लॉक को भंग करने का आदेश निरस्त भी कर दिया।

प्रदेश कांग्रेस महासचिव एवं प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी के अनुसार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा के निर्देशों पर सभी जिला कांग्रेस कमेटियों की बैठक प्रदेश

- **प्रदेश कांग्रेस के आदेशों में हुई गफलत**

पदाधिकारी प्रभारियों द्वारा ली गई थी तथा निष्क्रिय तथा सक्रिय पदाधिकारियों का फीडबैक प्रदेश कांग्रेस को कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों, विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव लड़े प्रत्याशियों तथा प्रभारी पदाधिकारियों से प्राप्त हुआ था। इस फीडबैक के आधार पर संगठनात्मक पुर्नगठन के लिए प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा के निर्देशानुसार सिरोही जिले की रेवदर एवं आबूरोड़, करौली जिले की हिण्डौन शहर व हिण्डौन देहात, टोंक जिले की टोडारायसिंह, देवली, अलीगढ़-उनियारा, दौसा जिले के दौसा एवं लवाण तथा हनुमानगढ़ जिले ब्लॉक भादरा शहर के ब्लॉक अध्यक्ष व ब्लॉक कार्यकारिणी एवं मण्डल अध्यक्ष तथा मण्डल कार्यकारणी की नियुक्तियों को तुरन्त प्रभाव से भंग किया गया है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला पदाधिकारी प्रभारियों, जिलाध्यक्षों तथा जिले के प्रमुख कांग्रेस नेताओं से 15 दिवस में प्रस्ताव लेकर इन ब्लॉक एवं मण्डल कांग्रेस कमेटियों का पुनः गठन किया जाएगा। 10 ब्लॉक और मंडल भंग करने के आदेश के तुरंत बाद भूल सुधार करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी दौसा के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दौसा तथा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी लवाण के ब्लॉक अध्यक्ष व ब्लॉक कार्यकारिणी एवं मण्डल अध्यक्ष तथा मण्डल कार्यकारिणियों की नियुक्तियों को भंग किए जाने के आदेशों पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगायी जाकर यथावत रखा गया है।

पूर्व पत्नी से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सजा

जयपुर, (का.सं.)। महानगर द्वितीय की महिला उत्पीडन प्रकरण मामलों की विशेष अदालत ने पूर्व पत्नी के घर में घुसकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त पूर्व पति को दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी आशुतोष कुमावत ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान समय में महिलाओं के साथ इस प्रकृति के अपराध बढ़ रहे हैं। ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक ने बताया की घटना को लेकर पीडिता ने 14 अक्टूबर, 2021 को आमेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि वह अपने पुत्र और पुत्री के साथ रहती है। उसका अपने शौहर से 9 अप्रैल, 2021 को तलाक हो चुका है। इसके बावजूद वह आए दिन उसे व बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर बलात्कार करता है।

चार बैट्रियां चोरी

जयपुर। विद्याधरनगर स्थित परिवहन कार्यालय द्वितीय के नाले के पास वाली दीवार फांदकर चोर अंदर घुसे और ई रिक्शा की चार बैट्रियां खोलकर ले गए। घटना के सम्बंध में जिला परिवहन अधिकारी ने विद्याधर नगर थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार जिला परिवहन अधिकारी संजय शर्मा ने मामला दर्ज करवाया कि जिला परिवहन कार्यालय द्वितीय की नाले के पास वाली दीवार फांदकर चोर अंदर घुसे। एक सीज ई रिक्शा की चार बैट्रियां खोलकर ले गए।

पशुपालकों के सशक्तिकरण के लिए राज्य बजट में दी गई ढेरों सौगातें : भजनलाल शर्मा

जयपुर, (का.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि परिवर्तित राज्य बजट 2024-25 में की गई घोषणाओं से विकसित राजस्थान का सपना साकार होगा। प्रदेश की 8 करोड़ जनता की आकांक्षाएं एवं उम्मीदें इस बजट से पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि किसान, पशुपालक, युवा, महिला सहित सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। शर्मा शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर सिरोही एवं बाली सहित विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से राज्य बजट में की गई घोषणाओं के लिए धन्यवाद देने आए देवासी समाज के प्रतिनिधिमण्डल को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र के सभी वादों को हमारी सरकार पूरा कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा देश कृषि प्रधान है और राज्य की अर्थव्यवस्था में पशुपालकों का अहम योगदान है। इसी को ध्यान में रखते हुए बजट में पशुपालकों के सशक्तिकरण के लिए ढेरों सौगातें दी गई हैं। पशुपालन संवर्द्धन, संरक्षण एवं विकास हेतु 250 करोड़ रुपये से मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुधारू पशुओं के नस्ल विकास एवं नर गौवंश की समस्या के समाधान के लिए अनुदान राशि 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत की जाएगी। शर्मा ने कहा कि प्रदेश में पशु चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए 125 पशु चिकित्सकों तथा 525 पशुधन सहायकों के नये पदों के सृजन, ग्राम पंचायतों में इस वर्ष 500 नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोले जाने सहित विभिन्न घोषणाएं राज्य बजट में की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थानों में चरणबद्ध रूप से आधारभूत सुविधाओं के विकास, भवन निर्माण एवं मरम्मत कार्य व उपकरण आदि के लिए 200 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। साथ ही, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारम्भ की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऊँटपालकों को दी जाने वाली सहायता राशि को 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रतिवर्ष किया जाएगा एवं पंजीकृत गौशालाओं को देय अनुदान में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

शर्मा ने कहा कि दुग्ध उत्पादकों की सुविधाओं में वृद्धि के लिए भी बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से सरदारशहर-चूरू, रानीवाड़ा-सांचौर, झालावाड़, भरतपुर, नागौर तथा बीकानेर में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांटस का सुदृढ़ीकरण, 95 करोड़ रुपये की लागत से पाली में 30 मीट्रिक टन क्षमता का अत्याधुनिक मिल्क पाउडर प्लांट तथा 25 करोड़ रुपये से कोटा में केटल फीड प्लांट स्थापित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2 हजार नये डेयरी बूथ खोले जाएंगे। इस वर्ष शहरी क्षेत्रों में एक हजार सरस मित्र बनाएंगे, 2 वर्षों में 1 हजार 500 नई दुग्ध सहकारी समितियां तथा किसानों को दूध का उचित मूल्य दिलाने हेतु 2 हजार दुग्ध संकलन केन्द्र खोले जायेंगे। इस दौरान पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत, पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री ओटाराम देवासी, जालोर-सिरोही सांसद लुम्बाराम चौधरी, देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष ओमप्रकाश भड़ाना, विधायक पुष्पेन्द्र सिंह राणावत, समाराम एवं गोपीचंद मीणा सहित जनप्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में देवासी समाज के लोग उपस्थित रहे।

बजट सौगातों के लिए देवासी समाज के प्रतिनिधियों ने आभार जताते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अभिनंदन किया। इस दौरान पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत, पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री ओटाराम देवासी, जालोर-सिरोही सांसद लुम्बाराम चौधरी, देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष ओमप्रकाश भड़ाना, विधायक पुष्पेन्द्र सिंह राणावत, समाराम एवं गोपीचंद मीणा सहित जनप्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में देवासी समाज के लोग उपस्थित रहे।

- **'राज्य की अर्थव्यवस्था में पशुपालकों का अहम योगदान'**
- **'250 करोड़ रुपये से किया जाएगा मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का गठन'**

रोबोटिक फिजियोथैरेपी से मरीज फिर सामान्य हुआ

जयपुर। दो साल पहले 63 वर्षीय संजीव शर्मा (परिवर्तित नाम) को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, जिसके बाद उनके शरीर का दाहिना हिस्सा काम करना बंद कर दिया था। इस घातक घटना ने उनकी जिंदगी को बिस्तर तक सीमित कर दिया। उन्हें सामान्य कार्यों के लिए अपने परिवारजनों पर निर्भर रहना पड़ा। ऐसे में रोबोटिक फिजियोथैरेपी उनके लिए वरदान साबित हुई और उनका जीवन पुनः सामान्य हो सका।

संजीव शर्मा का इलाज जयपुर के सीनियर फिजियोथैरेपिस्ट डॉ. आशीष अग्रवाल के नेतृत्व में किया गया। डॉ. आशीष अग्रवाल ने बताया कि संजीव शर्मा के शरीर के दाहिने तरफ़ में काफ़ी कमजोरी आ गई थी। सामान्य फ़िज़ियोथेरेपी से ज़्यादा सुधार नहीं आ रहा था। रोबोटिक फ़िज़ियोथेरेपी से पैर की कमजोर मांसपेशियों को सुधारने के लिए लोअर लिंब एंड गैट रोबोट का उपयोग किया गया। यह रोबोट उन्हें खड़ा होने और चलने में सहायता प्रदान करता है, जिससे उनकी गतिशीलता में सुधार हुआ और मरीज़ अब बिना किसी सहारे के चल पा रहा है। स्ट्रोक के बाद, संजीव शर्मा की बोलने की क्षमता भी प्रभावित हुई थी। जिसके लिए मरीज़ के ब्रोकाज एरिया को ब्रेन में नए न्यूरल कनेक्शन बनाने के लिए थ्री टेस्ला ब्रेन स्टिम्यूलेशन की सहायता से स्टिम्यूलेट किया गया, जिससे मरीज़ की बोलने के क्षमता में सुधार हुआ। कंधे एवं हाथ की मांसपेशियों में जीरो पावर होने के कारण वह हाथ नहीं उठा पा रहे थे, उन्हें सक्रिय करने के लिए लूना ईएमजी नेक्स्ट जेनरेशन रोबोट का उपयोग किया गया। डॉ. आशीष ने बताया कि इस तकनीक से मरीज़ जीरो पावर होने पर भी ब्रेन से कमांड देकर एक्टिव एक्सरसाइज करता है जिससे मरीज का दिमाग पहले से बेहतर ढंग से हाथ और पैर को नियंत्रित करने में सक्षम हो सका।

- **2 साल पहले ब्रेन स्ट्रोक से मरीज के शरीर में दाहिने हिस्से ने काम करना बंद कर दिया था।**